

फा.सं. 6/1/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार मंत्रालय का व्यापार और उद्योग
वाणिज्य कर विभाग प्रबंध-विभाग आम का व्यापार उपचार
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक: 8 मई , 2023

सभी इच्छुक पार्टियों,

विषय: एंटी-डंपिंग में अपनाई गई अंतिम पीसीएन पद्धति जाँच पड़ताल विषय में आयात का या निर्यात से चीन पीआर।

1. यह प्रारंभिक अधिसूचना एफ.सं. 6/1/2023-डीजीटीआर दिनांक 31 मार्च, 2023 के विषय में संदर्भित है, जिसके तहत जारी करने की तारीख से 20 दिनों के भीतर पीसीएन के निर्माण के लिए इच्छुक पार्टियों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। दीक्षा अधिसूचना की। पीसीएन के निर्माण पर टिप्पणी दर्ज करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करने वाले इच्छुक पार्टियों से विभिन्न संचार प्राप्त हुए थे। तदनुसार, ²¹ अप्रैल , 2023 के संचार के माध्यम से ²⁷ अप्रैल, 2023 तक पीसीएन पर टिप्पणियां दर्ज करने के लिए एक सप्ताह का विस्तार दिया गया था।
2. आवेदक ने दोहराया कि मामले के तथ्य किसी भी पीसीएन निर्माण की आवश्यकता नहीं रखते हैं और प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि आवेदन में प्रस्तावित मॉडल-टू-मॉडल तुलना पर विचार करें, जैसे कि डंपिंग के लिए 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम)। और चोट विश्लेषण। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्ष ने किसी पीसीएन का प्रस्ताव नहीं किया।
3. यह नोट किया गया है कि 401 और 300 व्यास के पीसीएन की कीमतों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। मामले की खूबियों के आधार पर अपनाई गई पीसीएन पद्धति निम्नानुसार है।

क्र.सं. नहीं	व्यास	पीसीएन
1.	401 व्यास (99 एमएम)	401
2.	300 व्यास (73 एमएम)	300

4. इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो (2) सप्ताह के भीतर उपरोक्त पीसीएन के आधार पर प्रश्नावली के जवाब दाखिल करने की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(राजीव कुमार सोनी)
संयुक्त निदेशक आम (एफटी)
दूरभाष। 011-23408728
ईमेल: jd12- dgtr@gov.in